

स्रोत- 'द हिन्दू' || '24 जुलाई, 2018'

GS WORLD

हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में मानव तस्करों की कैद से आजाद हुए लोगों ने सांसदों और सामाजिक संगठनों से मिलकर मानव तस्करी (बचाव, सुरक्षा और पुनर्वास) विधेयक, 2018 को संसद के इस मानसून सत्र में जल्द पारित कराने का अनुरोध किया।

उन्होंने सरकार से अपील की है कि बिल में यह स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वयस्क श्रमिकों को कार्य के लिए प्रेरित करने वालों को इस नए कानून के तहत दंडित नहीं किया जाएगा।

इसमें किसी से भी जबरदस्ती मजदूरी कराना, भीख मंगवाना, समय से पहले यौन परिपक्वता के लिये किसी व्यक्ति को रासायनिक पदार्थ या हार्मोन देना, विवाह के लिये या विवाह के बहाने से या विवाह के बाद महिलाओं और बच्चों की तस्करी करना शामिल है।

मानव तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी में सहायता के लिये जाली प्रमाण-पत्र बनाने, छापने और सरकारी एजेंसियों से मंजूरी तथा आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के लिये जालसाजी करने वाले व्यक्ति के लिये सजा का प्रावधान है।

यह तस्करी के बढ़ते रूपों को ध्यान में रखता है।

पीड़ितों के पुनर्वास और त्वरित सुरक्षा के लिये प्रावधान

इसमें पीड़ितों, गवाहों तथा शिकायत करने वालों की पहचान को गोपनीय रखा जाएगा।

पीड़ितों की गोपनीयता को उनके बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये दर्ज करके बनाए रखा जाएगा।

इससे सीमा पार और अंतर्राज्यीय अपराधों से निपटने में भी मदद मिलेगी।

चर्चा में क्यों?

GS WORLD

मानव तस्करी क्या है?

GS WORLD

मानव तस्करी विधेयक 2018

विधेयक की प्रमुख विशेषताएँ

GS WORLD

GS WORLD

GS WORLD

इस विधेयक में पहली बार पुनर्वास कोष स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया है।

इसका उपयोग पीड़ित के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक देखभाल के लिये किया जाएगा।

इसमें पीड़ितों की शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य देखभाल, मनोवैज्ञानिक सहायता, कानूनी सहायता और सुरक्षित निवास आदि शामिल हैं।

समयबद्ध अदालती सुनवाई और संज्ञान की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पीड़ितों को वापस अपने मूल स्थान पर भेजा जाएगा।

पीड़ित को शारीरिक, मानसिक आघात से निपटने के लिये 30 दिनों के अन्दर अंतरिम राहत का और चार्जशीट दाखिल होने की तिथि से 60 दिनों के अंदर उचित सहायता पाने का अधिकार होगा।

इसमें 10 वर्ष के सश्रम कारावास की न्यूनतम सजा से लेकर अधिकतम आजीवन कारावास तथा कम-से-कम एक लाख रुपए के आर्थिक दंड का प्रावधान शामिल किया गया है।

पीड़ित का पुनर्वास अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई शुरू होने या मुकदमे के फेसले पर निर्भर नहीं करेगा।



GS WORLD

नोडल एजेंसी एवं संस्थागत ढाँचा

GS WORLD

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी विरोधी ब्यूरो की तरह कार्य करेगी। इसके लिये NIA अधिनियम को अलग से संशोधित किया जाएगा।

NIA को महिलाओं की सुरक्षा के लिये मानव तस्करी की जाँच करने हेतु एक सेल स्थापित करने के लिये निर्भया फंड के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

विधेयक जिला, राज्य तथा केंद्र स्तर पर समर्पित संस्थागत ढाँचा स्थापित करता है।

यह तस्करी की रोकथाम, सुरक्षा जाँच और पुनर्वास कार्य के लिये उत्तरदायी होगा।

इसमें मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिये प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों का गठन किया गया है।